

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा

(दिनांक 14/06/2023 को आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त)

**श्री ए बिपिन मेनन, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएसईजेड प्राधिकरण 14.06.2023 को सुबह 10:00 बजे की अध्यक्षता में आयोजित एनएसईजेड प्राधिकरण (एनएसईजेडए) की बैठक का कार्यवृत्त।**

बैठक के दौरान एनएसईजेड प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य/विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड।
2. श्री राकेश कुमार, सहायक डीजीएफटी, कानपुर (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े)।
3. श्री पुनीत कपूर, भागीदार, मैसर्स एपीके पहचान (दिल्ली) (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए)।
4. श्री राहुल टंडन, निदेशक, मैसर्स इडेमिया सिसकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए)।

इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त और सचिव, एन एसईजेड प्राधिकरण, (ii) श्री अमित कुमार गुप्ता, उपायुक्त (सीमा शुल्क), एनएसईजेड, (iii) श्री अजय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, एनएसईजेड, (iv), श्री राजेंद्र मोहन कश्यप, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (v) श्री अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक-II, और (vi) श्री राजीव शर्मा, एफसीए, मैसर्स राजीव शर्मा एंड सहयोगी भी प्राधिकरण की सहायता के लिए उपस्थित थे।

यह सूचित किया गया कि गणपूर्ति है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

शुरुआत में, एनएसईजेडए के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया और सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय निम्नानुसार थे।

**1. दिनांक 14/06/2023 को आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:**

1.1 एनएसईजेड प्राधिकरण को सूचित किया गया कि 19.04.2023 को हुई उसकी बैठक में लिए गए किसी भी फैसले के खिलाफ कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ। तदनुसार, 19.04.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

1.2 इसके अलावा, एनएसईजेड प्राधिकरण ने एनएसईजेड प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 10 के उप-नियम 14 के संदर्भ में 19.04.2023 को हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की और प्राधिकरण बैठक दिनांक 19.04.2023 द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

**2. नियम 6 (1) (IV), 11(2), 12 (1) और विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नियम, 09 की अनुसूची II और III के अनुसार, वित्तीय विवरण और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

2.1 वर्ष 2022-23 के लिए प्रारूप वित्तीय विवरण और वार्षिक रिपोर्ट को नामांकित सीए फर्म अर्थात मैसर्स राजीव शर्मा और सहयोगी द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। इसे एनएसईजेड प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 6(1)(IV), 11(2), 12(1) के संदर्भ में अनुमोदन के लिए 14.06.2023 को हुई बैठक में एनएसईजेड प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था।

2.2 श्री राजीव शर्मा, एफसीए, मैसर्स राजीव शर्मा और सहयोगी ने एनएसईजेड प्राधिकरण के सदस्यों को वित्तीय विवरणों और खातों पर टिप्पणियों के मुख्य अंशों के बारे में जानकारी दी।

*सुरेंद्र मलिक*

2.3 प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण और वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी। अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने संपदा प्रभाग, एनएसईजेड को वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखाओं/रिपोर्टों की प्रतियां सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए सीएजी और सूचना के लिए वाणिज्य विभाग को अग्रेषित करने का निर्देश दिया।

**3. सर्विस सेंटर एनएसईजेड नोएडा की छत पर स्थापित सोलर प्रणाली बदलने के हेतु मेसर्स वैपकोस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुति प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श और परियोजना की लागत प्रभावशीलता पर विचार करने के बाद प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया।

**4. एनएसईजेड नोएडा में मोबाइल टावर लगाने एवं फाइबर केबल बिछाने के हेतु वर्तमान चार्ज की दरों में संशोधन करने के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद एनएसईजेड में मोबाइल टावरों की स्थापना और फाइबर केबल बिछाने/पोर्ट केबिन/मोबाइल टावर की स्थापना के लिए शुल्क को तत्काल प्रभाव से संशोधित करने का निर्णय लिया:-

क्र.सं.	विवरण	5% प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि के साथ अंतरिक्ष के लिए स्वीकृत शुल्क।
1.	एनएसईजेड में मोबाइल टावर लगाना।	i. पट्टा किराया @ 1,000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति माह प्रति प्रचालक। ii. रु. 3,00,000/- अग्रिम सुरक्षा राशि (वापसी योग्य)।
2.	फाइबर केबल बिछाना/पोर्ट केबिन/मोबाइल टावर लगाना।	i. साइट उपयोग शुल्क के रूप में 12.50 लाख रुपये (अप्रतिदेय) ii. सुरक्षा धन के रूप में 5.00 लाख रुपये (कार्य के सत्यापन के बाद वापसी योग्य) iii. पट्टा किराया @ 1,000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति माह प्रति प्रचालक।

**5. मेसर्स आइडिमिआ सिस्कोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आवंटित कॉमन क्षेत्र के सापेक्ष पट्टा किराया के ब्याज में छूट देने के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद निर्देश दिया कि सामान्य क्षेत्र के पट्टा किराया पर ब्याज राशि की माफी के संबंध में इकाई के अनुरोध को वाणिज्य विभाग को आगे विचार के लिए भेजा जा सकता है।

**6. नीची बाउंड्री वॉल की ऊंचाई (i) प्लॉट नंबर 142ए/24 से एसडीएफ 'एल' ब्लॉक (लगभग 2 किमी) तक, (ii) स्टाफ क्वार्टर के कोने से प्लॉट नंबर 137 (मेट्रो लाइन के नीचे सड़क से सटे) तक बढ़ाने और गेट संख्या 01 से डीएससी रोड (लगभग 400 मीटर), एनएसईजेड, नोएडा तक आरसीसी चाहरदीवारी का पुर्ननिर्माण करने के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि भूखंड संख्या 142ए/24 से एसडीएफ 'एल' ब्लॉक (लगभग 2 किमी) तक चाहरदीवारी की ऊंचाई 7 फीट (3 फीट आरसीसी + 4 फीट कांटेदार तार) बढ़ाई जा सकती है। यह सुरक्षा खतरे और घटी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। गेट नंबर 01 से डीएससी रोड तक आरसीसी चाहरदीवारी (400 मीटर) का फिर से निर्माण

सुरेंद्र मलिक



I/47982/2023

करने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने मैसर्स वैपकोस लिमिटेड, मेसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से उपरोक्त कार्य के लिए अनुमान मांगने का भी निर्देश दिया

**7. मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड पर प्लॉट नंबर 131-133, एनएसईजेड के सापेक्ष लगाए गए पांच गुना पट्टा किराया के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि इकाई को दिनांक 04.07.2022 (नोएडा प्राधिकरण को आवेदन की तिथि) तक कोई बकाया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह इस शर्त के अधीन है कि यदि नोएडा प्राधिकरण पर्याप्त कमी के कारण 04.07.2022 के अलावा अन्य पूर्णता की तारीख को स्वीकार करता है तो इकाई पूर्णता प्रमाण पत्र की संशोधित तिथि तक दंडात्मक ब्याज सहित अंतर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

**8. गिरवी रखने की अनुमति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रारूप की समीक्षा के सम्बन्ध में।**

8.1 प्राधिकरण को यह सूचित किया गया था कि हाल के दिनों में एनएसईजेड में भूखंडों पर कई भवनों की नीलामी इस कार्यालय/एमएसटीसी या वित्तीय संस्थानों द्वारा की गई है क्योंकि मूल आवंटी ने सरकारी देय राशि का भुगतान करने में चूक की थी। आने वाले उद्यमी ने इन भवनों का कब्जा "जहाँ है जैसा है" के आधार पर प्राप्त किया। हालांकि, ऐसे नीलाम किए गए भवन के भवन योजना, पूर्णता प्रमाण पत्र आदि की प्रतियां न तो इस कार्यालय के पास उपलब्ध हैं और न ही किसी बैंक/वित्तीय संस्थान के पास हैं।

8.2 प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित उद्यमी द्वारा लिए गए भवन को गिरवी रखने की अनुमति प्रदान करने के लिए उपयुक्त एजेंसी से प्राप्त भवन का संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र विशेष रूप से स्वीकार किया जाएगा। इस सुविधा उपाय को गिरवी रखना अनुमतियों के अलावा अन्य मामलों के लिए प्राथमिकता के रूप में नहीं माना जाएगा।

**9. डाटा एंटी ऑपरेटर (डीईओ) पद का पुनः पदनाम और आईटी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद 02 श्रेणियों में (i) कार्यकारी, और (ii) वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में आउटसोर्स तथ्य दाखिला प्रचालक के पुनः पदनाम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और साथ ही आउटसोर्स आईटी कर्मचारियों सहित उनके वेतन को 01.07.2023 से निर्धारित किया। मौजूदा अनुबंध के एजेंसी शुल्क में वृद्धि के बिना:-

क्र.सं.	पद	प्रति माह निर्धारित वेतन स्वीकृत
1.	क्रमादेशक	रु 40,000/-
2.	सर्वर प्रशासक	रु 40,000/-
3.	हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर	रु 40,000/-
4.	कार्यकारी	रु 28,000/-
5.	वरिष्ठ कार्यकारी	रु 30,000/-

**10. एनएसईजेड, नोएडा में मैसर्स वैपकोस द्वारा विभिन्न रखरखाव सेवा प्रदान करने के लिए वर्तमान ठेकेदारों के अनुबंध की वैधता बढ़ाने के सम्बन्ध में।**

10.1 प्राधिकरण को यह सूचित किया गया था कि मैसर्स वैपकोस लिमिटेड ने 30.06.2024 तक एनएसईजेड में रखरखाव सेवा प्रदान करने के लिए अनुबंध अवधि की वैधता के विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।

सुरेंद्र मलिक

I/47982/2023

उन्होंने यह भी सूचित किया कि निविदा दस्तावेज पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं और आज की तारीख तक निविदा स्वीकृत नहीं की गई है। इसलिए, निविदा अभियांत्रिकी में निविदा दस्तावेजों के अनुमोदन के बाद कम से कम एक महीने का समय लगेगा। इसलिए, ई-निविदा के माध्यम से नई एजेंसियों को अंतिम रूप देने से पहले मौजूदा एजेंसियों को विस्तार देना आवश्यक होगा। इस संबंध में, प्राधिकरण को यह भी सूचित किया गया था कि इस कार्यालय को मैसर्स वैपकोस लिमिटेड से 06.06.2023 को मसौदा निविदा दस्तावेज प्राप्त हुआ है और मैसर्स वैपकोस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत मसौदा निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित कार्य का दायरा और निविदा की शर्तें वर्तमान साइट आवश्यकता के अनुसार जांच की जा रही है, और इसे अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है।

10.2 प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने मैसर्स वैपकोस लिमिटेड को वर्तमान ठेकेदार की वैधता को अगले एक महीने के लिए 31.07.2023 तक बढ़ाने और 01.08.2023 से क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए पेशेवर एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए सभी औपचारिकताओं को तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया।

#### **11. एनएसईजेड में निशुल्क विद्युत वाहन का परिचालन करने के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) से दो किराए पर लेने के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं (ईओआई) आमंत्रित करने का निर्णय लिया। 5 वर्ष की अवधि के लिए 40 सीटर क्षमता तक की विद्युत बसें निम्नलिखित नियम और शर्तों के साथ ज़ोन के अंदर नियमित बस सेवा प्रदान करने के लिए:

- ओईएम सेवा का स्वामित्व, रखरखाव और संचालन (ड्राइवर प्रदान करने सहित) करेगा। वे बस को चार्ज करने के लिए एक फास्ट चार्जर भी उपलब्ध कराएंगे;
- ओईएम लाइव फीड और बस के उपयोग की निगरानी के लिए डिजिटल इंटरफेस प्रदान करेगा;
- एक दिन में वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी 80-100 किलोमीटर होगी।
- ऑपरेटर द्वारा 90% का अपटाइम बनाए रखा जाएगा।
- पट्टे की अवधि अधिकतम पांच वर्ष होगी; जिसे संतोषजनक प्रदर्शन पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

ओईएम से प्राप्त ईओआई के आधार पर, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड की अध्यक्षता वाली एक आंतरिक समिति दिशानिर्देशों के अनुरूप आगे की उचित कार्रवाई का सुझाव देगी।

#### **12. मैसर्स वैपकोस लिमिटेड द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रदर्शन की समीक्षा।**

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल या जीईएम के माध्यम से एक वर्ष के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं (ईओआई) जारी करने का निर्णय लिया। जिन अधिकारियों ने सिविल निर्माण, विकास और रखरखाव में शामिल किसी भी पीएसयू के साथ काम किया है, उन्हें उनकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एनएसईजेड प्राधिकरण में रखा जाएगा। वरीयता उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने पीएसयू के बोर्ड में निदेशक या समकक्ष के रूप में कार्य किया हो। यह भी निर्णय लिया गया कि छह महीने के लिए एक बार एक वास्तुकार को काम पर रखने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति जारी की जाए।

ईओआई के जवाब में प्राप्त आवेदनों की संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता वाली एक आंतरिक समिति द्वारा जांच की जाएगी जो दिशानिर्देशों के अनुरूप आगे की उचित कार्रवाई का सुझाव देगी।

सुरेंद्र मलिक




I/47982/2023

**13. मैसर्स वैपकोस लिमिटेड द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रदर्शन की समीक्षा।**


मैसर्स वैपकोस लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष रखी गई थी। प्राधिकरण ने एक-एक करके सेवाओं की समीक्षा की और की गई प्रगति को नोट किया। प्राधिकरण ने क्षेत्र में वैपकोस द्वारा प्रदान/अनुरक्षित सेवाओं पर असंतोष व्यक्त किया और मैसर्स वैपकोस लिमिटेड को चल रही परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर नोएडा एसईजेड प्राधिकरण (एनएसईजेडए) और वैपकोस लिमिटेड के लिए के बीच हस्ताक्षरित ज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। प्राधिकरण ने क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित समयसीमाएं प्रदान की हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राधिकरण द्वारा दी गई परियोजना के पूरा होने की तिथि
1.	एसडीएफ एच, जे, के ब्लॉक में माल लिफ्ट और एनएसईजेड में ट्रेडिंग ब्लॉक में यात्री लिफ्टों का प्रतिस्थापन	30.06.2023
2.	स्टाफ क्वार्टर ए और सी ब्लॉक, एनएसईजेड का नवीनीकरण	12.07.2023
3.	एनएसईजेड में नए शौचालय का निर्माण और सभी शौचालयों का नवीनीकरण	20.07.2023
4.	गेस्ट हाउस डी-1 एनएसईजेड के साथ स्टाफ क्वार्टर डी-2 की क्लबिंग और नवीनीकरण	02.09.2023
5.	एसडीएफ डी एंड ई ब्लॉक, एनएसईजेड का नवीनीकरण	30.06.2023

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

  
(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

  
(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त

